राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1448/2022

श्रीमती नन्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.04.2022
आदेश की दिनांक : 17.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, राजकीय अभिभाषक।

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता अंग्रेजी विषय के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाम्बा हरिसिंह, ब्लॉक मालपुरा, टोंक में कार्यरत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 07.01.2021 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन नियुक्ति हेतु सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल किया गया। अपीलार्थी ने कांउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान जयपुर जिले का विकल्प भरा। अपीलार्थी एक विकलांग महिला है, इसलिए अपीलार्थी का नाम पदस्थापन के लिए वरीयता सूची में शामिल किया गया और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 05 पर रखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाम्बा हरिसिंह, ब्लॉक मालपुरा, टोंक में निःशक्तता नियमों के विरूद्ध जाकर नियुक्त किया गया है। अपीलार्थी ने अपना पदस्थापन जयपुर जिलें में करवाने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–4)। आयुक्त कल्याण विभाग ने दिनांक 10.11.2021 (अनुलग्नक–5) के कवरिंग पत्र के अनुसार प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2020 एवं दिनांक 21.08.2008 के परिपत्रों के अनुसार दिव्यांगजन कल्याण विभाग की श्रेणी में माना जाए। परन्तु प्रत्यर्थी

विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति परामर्श एवं सहमति के आधार पर की गई थी। अतः नियुक्ति स्थान में परिवर्तन संभव नहीं है। अपीलार्थी ने पुनः प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 30.12.2021 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निःशक्तता श्रेणी के शिक्षकों के पदस्थापन हेतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात् जयपुर जिले में अनेक शिक्षकों को पदस्थापित किया गया तथा अभ्यावेदनों पर निर्णय लेकर अनेक व्यक्तियों के पदस्थापन स्थान में परिवर्तन किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने निर्णय दिनांक 24.01.2022 (अनुलग्नक–3) पुनः अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध अवधि होने एवं प्रार्थिया के परिवीक्षाकाल में होने के कारण वर्तमान में पदस्थापन स्थान परिवर्तन किया जान सम्भव नहीं है। अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2022 पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि परिवेदना के नाम पर पहले ही कई शिक्षकों का समायोजन किया जा चुका है और अपीलार्थी एक दिव्यांग महिल है, इसलिए उसके अभ्यावेदन के अनुसार उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया है और वर्ष 2005 एवं वर्ष 2016 के अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए जहां वे सुचारू रूप से कार्य कर सकें। अपीलार्थी जयपुर की निवासी है। विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार दिव्यांग महिला को जयपुर जिले में पदस्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए, किन्तु इस पहलू पर विचार किए बिना अपीलार्थी को अवैध तरीके से टोंक जिले में पदस्थापित किया गया है, जो अनुचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021, 23.11.2021 एवं दिनांक 24.01.2022 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को जयपुर जिले में ही व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर विकलांगता अधिनियम एवं परिपत्रों के तहत नियुक्त किया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत अपीलार्थी का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार अपीलार्थी को काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करते हुए उनक द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर ही किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन स्थानान्तरण की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा इन्हें छात्र हित

अथवा राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन स्थानान्तरण किया जा सकता है अतः पदस्थापन आदेश में किसी प्रकार से सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। जिससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाम्बा हरिसिंह, ब्लॉक मालपुरा, टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी एक विकलांग महिला है, जिसका मूल स्थान जयपुर है। अपीलार्थी का व्याख्याता अंग्रेजी विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया भाग लिया तथा पदस्थापन पर नियुक्ति के लिए विकल्प पत्र में जयपुर जिले का चयन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाम्बा हरिसिंह, ब्लॉक मालपुरा, टोंक में निःशक्तता नियमों के विरूद्ध नियुक्त किया गया। जबकि राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार अपीलार्थी को काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर ही किया गया। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समिचिन समझते है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य